

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारसीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आर्क्ष.ए.एस

दिनांक - 15/09/2025

रीडर/2025/8465

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

उमाराम 2 राणाराम
पिसरान जेहराम जातियान
जाट निवासी मोतियोणियों
का तला (सांजटा) तहसील
बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर।

1 दुर्गाराम पुत्र वागाराम 2 चूनाराम 3 मगाराम पिसरान खीयाराम 4
गोपाराम 5 देवाराम पिसरान राउराम 6 चैनीदेवी पत्नि देवाराम 7
राजूराम पुत्र देवाराम 8 जोगाराम 9 मेघाराम पिसरान रामजीराम 10
गंगाराम 11 गोरधनराम 12 पूनमाराम 13 राजूराम 14 लुम्माराम
पिसरान जेहाराम 15 चूनाराम पुत्र मोमताराम 16 कृष्ण पुत्र
मदरूपाराम 17 गैनाराम पुत्र उदाराम 18 पुरोदेवी पत्नि मदरूपाराम
19 कालीदेवी पत्नि उदाराम 20 जेठाराम पुत्र मेहाराम 21 जमनादेवी
पत्नि मेहाराम 22 पदमाराम पु मेहराम 23 जेतारम पुत्र रामजीराम 24
करनाराम 25 नवलाराम 26 मानाराम पिसरान निम्वाराम 27
गिरधारीराम 28 पालाराम पिसरान भगवानाराम 29 खेताराम 30
पुनमाराम पिसरान हीराराम 31 उमेदाराम 32 चैनाराम 33 पुराराम
पिसरान चुतराराम 34 खेतुदेवी पत्नि गोरधनराम 35 थानी पुत्री
निम्वाराम 36 पूनमाराम पुत्र गोरधनराम 37 पोकरराम पुत्र जैरामाराम
38 भैराराम पुत्र गोरधनराम 39 ईशाराम 40 पूनमाराम पिसरान
गंगाराम 41 पप्पूबाई पुत्री गंगाराम 42 मूलाराम पुत्र उदाराम 43
आसुराम 44 नैनाराम 45 कैसाराम 46 अचलाराम 47 लालाराम
पिसरान जेठाराम जातियान जाट निवासीयान मोतियोणियों का तला
सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 244/2025

दिनांक-15/09/2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मोतियोणियों का तला पटवार हल्का सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला
बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 800/254 रकबा 2.2986 हैक्टेयर, खसरा संख्या 804/259 रकबा 3.3508
हैक्टेयर, खसरा संख्या 859/254 रकबा 2.1205 हैक्टेयर, खसरा संख्या 255 रकबा 0.0809 हैक्टेयर, खसरा
संख्या 848/256 रकबा 5.0828 हैक्टेयर, खसरा संख्या 860/256 रकबा 3.1970 हैक्टेयर, व मौजा दौलाणियों
का तला पटवार हल्का सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 114 रकबा 0.
1376 हैक्टेयर, खसरा संख्या 116 रकबा 5.7951 हैक्टेयर, खसरा संख्या 124 रकबा 1.8049 हैक्टेयर, खसरा
संख्या 130 रकबा 7.4300 हैक्टेयर, खसरा संख्या 99 रकबा 6.9201 हैक्टेयर, खसरा संख्या 101 रकबा 1.9182
हैक्टेयर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण
को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्यवाई करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को
नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व
पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान
की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र
निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,री

बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/8466-8470

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक-19/09/2025

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण उमाराम पुत्र जेहराम जातियान जाट निवासी मोतियोणियों का तला (सांजटा) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थीगण दुर्गाराम पुत्र वागाराम जातियान जाट निवासी मोतियोणियों का तला (सांजटा) तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,री